हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 96

बुधवार, 18 फरवरी, 2026/29 माघ, 1947(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 3137 (स्थगित) 3679(स्थगित) व 3721 (स्थगित) और तारांकित प्रश्न संख्या 3844 से 3847 तक के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप-मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3848 से 3851 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1351 (स्थगित) व 1533 (स्थगित) तथा अतारांकित प्रश्न संख्याः 1557 से 1558 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

1. **डॉ0 जनक राज, सदस्य** ने पांगी घाटी में उत्पन्न बिजली की समस्या का विषय मान्य सदन में उठाया और कहा कि केन्द्र सरकार की आर0डी0एस0एस0 स्कीम के तहत थिरोट से किलाड़ तक 11 के0वी0 विद्युत लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ था जो कि वन विभाग व बिजली विभाग की आपसी खींचतान के कारण अभी तक अधर में लटका हुआ है। इस विषय को शीघ्र सुलझा जाए तथा अब तक इस मामले को लम्बित रखने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज के विषय का संज्ञान विधान सभा द्वारा लिया गया है और माननीय सदस्य के कंसर्न को संबंधित विभाग को कार्रवाई हेतु भेज दिया जाएगा।

2. **श्री इन्द्र सिंह, सदस्य** ने बल्ह विधान सभा क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों/व्यापारियों के पंजीकरण व उनसे होने वाली अन्य समस्याओं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विषय माननीय सदन में उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि सदन ने इस विषय का संज्ञान लिया है। पुलिस विभाग इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा।

3. **कुमारी अनुराधा, सदस्य** ने जनहित में बरसात से पहले कमांद-कंडी-कटौला संपर्क मार्ग को ठीक करने का विषय मान्य सदन में उठाया ।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि यह मामला उनके संज्ञान में है। एक कंडी-कटोला और दूसरी पंडोह-चैलचोक सड़क है, ये दोनों सड़कें खासकर कुल्लू, बंजार, मनाली तथा लाहौल-स्पीति को आपदा और वर्षा के दौरान पूरी वैली को कवर करती हैं। यह बात विभाग और मुख्यमंत्री जी के जहन में है। इसकी ऑलराउंड कनेक्टिविटी हो तथा समय पर इसकी अपग्रेडेशन हो, इस पर पूरा फोकस है। विभाग द्वारा इसे समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

4. **श्री हरदीप सिंह बावा, सदस्य** ने उनके चुनाव क्षेत्र में ग्राम पंचायत गोल ज्वांला के प्लाशला गांव में लगभग डेढ़ सौ बीघा भूमि पर स्थापित ए0पी0आई0 यूनिट का विषय सदन के ध्यान में लाया। लगभग 25 से 30 गांव तथा नगर परिषद क्षेत्र इस यूनिट की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। वहां पर बदबू फैल रही है जिससे गांववासी और क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं और वहां से पलायन करने की सोच रहे हैं। इस समस्या के कारण लगातार पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं और लोग आए दिन प्रोटैस्ट कर रहे हैं। सरकार से विनम्र गुजारिश है कि पॉल्यूशन विभाग इस विषय को गंभीरता से देखे, जो डिटेल दी गई है उसे संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई करे।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर माननीय सदस्य ने सदन में एक बहुत गंभीर विषय उठाया है जिसका संबंध एयर और वॉटर पॉल्यूशन से है। माननीय सदस्य द्वारा जो विस्तृत सूचना इस माननीय सदन में दी है, वह उसे बड़ी गंभीरता से लेगा और पॉल्यूशन व एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को विशेष तौर पर हिदायत जारी करेगा ताकि जल्द ही इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई हो तथा की गई कार्रवाई से आपको सूचित किया जाएगा।

5. **श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य** ने कहा कि सरकार ने अभी सी0बी0एस0ई0 के जो नए स्कूल खोले हैं उनमें रिक्रूटमैंट का प्रोसैस जारी किया है जिसमें इंग्लिश और मैथेमैटिक्स के टीचर्ज़ अप्वाइंट होने हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इनकी नियुक्तियां करेगा और ये केवल 10 महीने के लिए वैलिड होंगी जिसमें उम्र का क्राइटेरिया 25 से 45 साल तक रखा गया है। सरकार से केवल इतना आग्रह है कि जो युवा इन पदों हेतु 21 से 24 साल तक की आयु में योग्य हैं उनके राइट को कैसे काट सकते हैं? अप्पर एज लिमिट आप रखिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लोअर एज में जो लोग क्वालिफाई हैं, शिक्षित हैं, उनको इसमें चांस मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। सदन ने इसका संज्ञान भी लिया है और जैसा आपने कहा है कि अप्पर एज लिमिट तो होनी चाहिए लेकिन लोअर एज लिमिट के बजाय if a candidate qualifies the basic requirements for a post, then he should be made eligible for that post. As in IAS/IPS the minimum age is 21 years and minimum qualification is graduation. So, definitely this is an important issue and I hope the Department will take a note of it and

will take certain steps in this direction also and we will inform this House as well as the Hon'ble Member.

6. **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** ने अवगत करवाया कि उनके विधान सभा चुनाव क्षेत्र श्री नैना देवीजी में ही सिविल हॉस्पिटल घवंडल के नाम से है। इस सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य धन की कमी के कारण पिछले कई वर्षों पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः सरकार से निवेदन है कि इस अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए टैंपल ट्रस्ट या किसी अन्य माध्यम से 4-5 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया जाए।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वे स्वयं इस होस्पिटल को देखने के लिए दो बार जा चुके हैं। यह कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है और शीघ्र ही मुहैया करवा दी जाएगी। इस बारे में वे माननीय सदस्य और वहां के दूसरे स्टेक होल्डर्ज के साथ बैठक करेंगे। अगर कुछ राशि टैम्पल ट्रस्ट से मिल जाती है तो सिविल होस्पिटल को शिफ्ट करने के साथ-साथ यह काम शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाएगा।

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने कहा कि इस मामले को कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के दृष्टिगत एग्जामिन किया जाएगा। अगर किसी ढंग से प्रोविजन बनता होगा तो इस मामले में मदद की जाएगी। चूंकि इसमें कोर्ट का फैसला है इसलिए इसको तरीके से देखना पड़ेगा।

7. **श्री राकेश कालिया, सदस्य** ने गगरेट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य केंद्र में मोटरसाइकिल व डीप फ्रिजर की खरीद-फरोख्त में हुई अनिमितताओं का मामला सदन में उठाया और बताया कि इस मामले में एफ0आई0आर0 दर्ज़ हो चुकी है लेकिन एक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभी तक इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि इस एफ0आई0आर0 पर आगे त्वरित कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है। जैसा कि इन्होंने कहा है, इंक्वायरी हुई है और एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सदन के माध्यम से संबंधित विभाग को आवश्यक

कार्रवाई करने हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे और की गई कार्रवाई से इस माननीय सदन तथा आपको भी अवगत कराया जाएगा।

8. **श्रीमती रीना कश्यप, सदस्य** ने अवगत करवाया कि भारी बारिश के कारण दीदक्लूथ पंचायत के गांव पटेली में एक पुल बह गया है जो कि 6 पंचायत के लोगों को लाभ देता था। वहां की स्थिति ऐसी है कि यदि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उन्हें पीठ पर उठाकर रस्सी के सहारे नदी से पार ले जाया जाता है। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी या डी0सी0, सिरमौर को आदेश दें कि यह छोटा-सा पुल है जिसकी लागत 10 से 15 लाख रुपये है। यदि यह बन जाएगा तो वहां के 56 गांवों के लोगों को लाभ होगा।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्या के माध्यम से निश्चित तौर पर एक गम्भीर विषय इस माननीय सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जिससे संबंधित विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा और विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह इस पर उचित कार्रवाई करेगा। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से माननीय सदस्या तथा इस माननीय सदन को भी अवगत करवा दिया जाएगा।

2. नियम-102 के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर आगे चर्चा जारी।

श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग एवं संसदीय कार्य मामले मन्त्री द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी हुईः-

"प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी जो कि 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष से बन्द की गई है जिससे प्रदेश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हुए हैं। इसके दृष्टिगत यह सदन केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि पूर्व में दी जा रही राजस्व सहायता अनुदान राशि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर राजस्व घाटे के अनुरूप प्रदान की जाए।"

उक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित ने भाग लियाः -

1. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मंत्री

माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने स्पष्ट किया कि माननीय मंत्री द्वारा यह कहना कि हम वंदे मातरम के विरोधी हैं और हमारे द्वारा इसका विरोध किया गया, वह बिल्कुल गलत बात है। हमारे लिए वंदे मातरम आज भी प्रेरणा, जुनून व जज्बा है। माननीय मंत्री द्वारा आर0एस0एस0 का ज़िक्र बार-बार किया गया है। हम आर0एस0एस0 के हैं और हमें उस पर गर्व है।

(**12.50 बजे अपराह्न सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर हो गए।**)

Ruling by the Hon'ble Speaker

"जो बातें रैफरेंस में आई हैं उनका जबाव आ गया है। Lord Mountbatten and rest of the story will not go on record. माननीय सदस्य को जो कुछ ऑब्जैक्शनेबल लग रहा था, उसका ज़िक्र कर दिया गया है।"

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह है कि we should stick to the facts. यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमको bipartisan तरीके से हिमाचल की आवाज को दिल्ली में रखना है और यह कार्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। यदि इतिहास और विभाजन की राजनीति में उलझेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को होगा। इसलिए इस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति से बचा जाए।

2. श्री दीप राज, माननीय सदस्य

(**01.12 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.10 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई**)

(भोजनावकाश के उपरांत 02.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-102 के अन्तर्गत दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत सरकारी संकल्प पर आगे चर्चा जारी :

उक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित ने भाग लियाः -

3. श्री राम कुमार, सदस्य

(2.22 बजे अपराह्न माननीय सभापति, श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

4. डॉ0 जनक राज, सदस्य
5. श्री संजय अवस्थी, सदस्य
6. श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य
7. श्री अनिरूद्ध सिंह, मा0 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
8. श्री सुरेन्द्र शौरी, सदस्य
9. श्री सुरेश कुमार, सदस्य
10. श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य

(04.18 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के विकास और जनता के हित में किए गए कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया।

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

(05.15 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात रखने के लिए माननीय अध्यक्ष से आग्रह करने लगे तथा 05.20 बजे अपराह्न सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाज़ी करने लगे।)

(शोरोगुल के दौरान 05.21 बजे अपराह्न सदन की बैठक 05.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(05.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री ने पुनः उत्तर देना आरंभ किया तो विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में शांति बनाए रखने के लिए विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि ये सारे आंकड़े मीडिया में भी आ चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री ने जो आंकड़े सदन में प्रस्तुत किये हैं इनको रिबट करने के लिए विपक्ष को समय दिया जाएगा।

(05.41 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाज़ी करने लगे।)

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Nothing will go on the record, except the reply of the Hon'ble Chief Minister."

(05.55 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सभामंडप के बीचोंबीच बैठकर नारेबाज़ी करने लगे।)

(06.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

Ruling by the Hon'ble Speaker

"I am requesting all the Hon'ble Members that no video clips from individual mobiles should be photographed in the House. If any Hon'ble Member has done so, please delete it. Otherwise, that will be against the Rules and I will be forced to take action against that Hon'ble Member. Nothing will go on record except the statement

of the Hon'ble Chief Minister. It is the 'e-Vidhan' module that will have the videos. Therefore, whatever will go on the 'You Tube' that will also be with the permission of the Chair. Whatever we will circulate on the 'e-Vidhan' module, except that, if any video is made by any Hon'ble Member, then he will be forcing me to take a very stern action against that Hon'ble Member."

माननीय मुख्य मंत्री ने नियम-102 के तहत लाए गए सरकारी संकल्प पर हुई सकारात्मक चर्चा के संबंध में तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ विस्तृत उत्तर दिया तथा विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से Revenue Deficit Grant को पुनः बहाल करवाने में सहयोग देने की अपील की। तदोपरांत उन्होंने नियम-102 के तहत लाए गए सरकारी संकल्प को माननीय सदन से पारित करने का आग्रह किया।

प्रस्ताव स्वीकार
(संकल्प पारित हुआ।)

06.16 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

***